उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 58वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 29.07.2020

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी-13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
☎ 0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्सः 0522 4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.07.2020 को सम्पन्न हुई 58वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –सदस्य / सचिव
3. श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) –सदस्य
4. श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) –सदस्य
5. श्री अभय कुमार, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण) –सदस्य
6. श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, टॉउन प्लानर, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एव शहरी नियोजन) –सदस्य
7. श्री संदीप चन्द्रा, महाप्रबन्धक, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) –सदस्य

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
3. श्री मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री विश्व दीपक, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
5. श्री जे0पी0 सिंह, सलाहकार (भू–अर्जन), यूपीडा।
6. श्री रवीन्द्र गोडबोले, नोडल अधिकारी (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे), यूपीडा।
7. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन), यूपीडा।
8. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन), यूपीडा।
9. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थाए), यूपीडा।
10. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
11. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
12. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
13. श्री किशोर पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
14. श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
15. कर्नल के0एस0 त्यागी, वरिष्ठ परामर्शी डिफेन्स कॉरिडोर, यूपीडा।
16. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
17. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 58वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु–01:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.06.2020 को सम्पन्न हुई 57वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया:–

कार्यवाही/निर्णय:– निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 23.06.2020 को सम्पन्न हुई 57वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.06.2020 को सम्पन्न 57वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया:–

कार्यवाही/निर्णय:– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.06.2020 को सम्पन्न हुई 57वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– **बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु बैंकों से ऋण के माध्यम से वित्तपोषण विषयक प्रस्ताव : -**

कार्यवाही/निर्णय :- निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि "बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना" के सिविल निर्माण कार्यके लिए बैंकों के कन्सोर्शियम से वित्तीय व्यवस्था हेतु यूपीडा के निदेशक मंडल द्वारा 14 अक्तूबर 2019 को सम्पन्न बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था। निदेशक मंडल द्वारा 02 बैंकों यथा बैंक ऑफ बड़ौदा व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यूपीडा के पक्ष में क्रमशः रु 2000.00 करोड़ व रु 700.00 करोड़ के ऋण हेतु जारी ऋण स्वीकृति पत्रों को संज्ञान में लिया गया था व यह भी नोट किया गया था कि कतिपय अन्य बैंकों में प्रक्रिया उनके बोर्ड / सक्षम प्राधिकारी स्तर पर गतिमान है। इस परिप्रेक्ष्य में यूपीडा को इंडियन बैंक (रु. 1000.00 करोड़), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (रु. 700.00 करोड़), यूको बैंक (रु. 500.00 करोड़) तथा बैंक ऑफ इंडिया (रु. 1000.00 करोड़) से कुल रु. 3200.00 करोड़ के ऋण स्वीकृति पत्र प्राप्त हुए हैं। इन चारों बैंकों की सामान्य ऋण-शर्तें कंसोर्शियम लीडर बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा) की सामान्य ऋण-शर्तों के अनुरूप ही हैं। इसे सम्मिलित करके अब तक 06 बैंकों द्वारा रु. 5900.00 करोड़ का ऋण स्वीकृत हो चुका है। इस स्थिति में यह प्रस्तावित किया गया कि इन छह बैंकों को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व में बैंक-कन्सोर्शियम स्थापित कर लिया जाए। निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया कि इंडियन बैंक (रु. 1000.00 करोड़), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (रु. 700.00 करोड़), यूको बैंक (रु. 500.00 करोड़) तथा बैंक ऑफ इंडिया (रु. 1000.00 करोड़) के ऋण स्वीकृति पत्रों को स्वीकार करके निदेशक मण्डल द्वारा 14 अक्तूबर 2019 की बैठक में पारित संकल्प में वर्णित अनुसार अग्रिम कार्रवाई हेतु यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत करने पर विचार करें। निदेशक मण्डल द्वारा इन बैंकों के ऋण-स्वीकृति पत्रों का अवलोकन करके सम्यक विचारोपरांत इस ऋण हेतु अग्रिम प्रक्रिया के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करते हुए निम्नवत् संकल्प पारित किया गया :-

संकल्प /RESOLUTIONS:

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No. 03 placed before it in the meeting of the Board held on 29 July 2020, approved and passed the following Resolutions:-

a. "That the offer to UPEIDA by Indian Bank for a loan of Rs 1000.00 crore, by Bank of Maharashtra for a loan of Rs 700.00 crore, by UCO Bank for a loan of Rs 500.00 crore and by Bank of India for a loan of Rs 1000.00 crore as a part of the Consortium Loan not exceeding Rs 7000.00 crore (Rupees Seven Thousand Crore only) on the terms and conditions as contained in their Sanction Letter dated 06 July 2020, 03 July 2020, 13 July 2020 and 29 July 2020 respectively (copies of which duly signed by the Chief Executive Officer and Chairman of the Board, for the purpose of identification, have been circulated as a part of agenda placed before the Board) for the purpose of the civil construction work of Bundelkhand Expressway Project be and is hereby accepted."

b. "That the Chief Executive Officer, be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to convey to the aforementioned banks the acceptance of the said offer of loan on the terms and conditions contained in the above-referred loan sanction letter(s) of the Banks and agree to such changes and modifications in the said terms and conditions as may be suggested by and acceptable to the Banks / Consortium from time to time (provided the same are in conformance within the overall approvals of the State Government), and execute such deeds, documents and other writings as may be necessary or required for this purpose."

c. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute the Loan Agreement as finalised by the Consortium led by Bank of Baroda and furnish to the Bank of Baroda Consortium such securities as stipulated therein relating to the above-mentioned loan within the period stipulated by the Banks."

d. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute any other document as required by the Consortium led by Bank of Baroda so as to include these Banks as a part of the Consortium led by Bank of Baroda."

e. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute the Letter / Deed of Undertakings to be given by UPEIDA as also any other document as required by the Banks / Consortium (as per the standard formats with such modifications / amendments as may be agreed to between Banks and UPEIDA)."

f. "It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from the State Government in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the aforesaid Loan and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

एजेण्डा बिन्दु–04:– **बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे - सिविल निर्माण हेतु ऋण व्यवस्था: बैंक ऑफ बड़ौदा से "सूक्ष्म अवधि ऋण - II" आहरण हेतु प्रस्ताव**

कार्यवाही / निर्णय निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार यूपीडा द्वारा "बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना" का निर्माण किया जा रहा है। शासनादेश सं. 2321/77-3-19-123 एम/19 दिनांक 11 नवंबर 2019 द्वारा इस परियोजना के सिविल निर्माण हेतु रु. 7000.00 करोड़ की ऋण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तदनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व में कंसोर्शियम स्थापित किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। इसी शासनादेश में यह व्यवस्था दी गई है कि ऋण राशि के लिए "कंसोर्शियम" व्यवस्था अपनाई जाएगी तथापि ऋण की तात्कालिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रारम्भ में बैंक ऑफ बड़ौदा से एकल रूप में प्रारंभिक ऋण प्राप्त किया जाएगा। भारत सरकार के निर्णयानुसार कतिपय बैंकों के विलय की प्रक्रिया एवं अन्य परिस्थितियों के कारण फाइनेंशियल क्लोज़र होने और कंसोर्शियम स्थापित किए जाने में विलंब होने किन्तु बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का सिविल निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाने के कारण यूपीडा की फ़ंड हेतु तात्कालिक आवश्यकताओं के कारण से बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा यूपीडा के पक्ष में रु. 500.00 करोड़ का सूक्ष्म अवधि ऋण (Bridge Loan) का स्वीकृति किया गया था जिस पर निदेशक मण्डल द्वारा 28 अप्रैल 2020 को अनुमोदन किया गया था। इस ऋण की पूर्ण राशि रु. 500.00 करोड़ का उपभोग यूपीडा द्वारा कर लिया गया है। यद्यपि कन्सोर्शियम ऋण के अंतर्गत अभी तक 06 बैंकों से रु. 5900.00 करोड़ की ऋण-राशि के स्वीकृति पत्र प्राप्त हो गए हैं जिसके अनुमोदन के लिए यूपीडा का पत्र शासन में विचाराधीन है, तथापि फाइनेंशियल क्लोज़र होने व कन्सोर्शियम स्थापित होने में लग रहे समय के दृष्टिगत यूपीडा द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा से रु. 500.00 करोड़ के और अधिक सूक्ष्म अवधि ऋण (Bridge Loan) को स्वीकृत करके सूक्ष्म अवधि ऋण की राशि रु. 1000.00 करोड़ तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था। यूपीडा के अनुरोध के फलस्वरूप बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने पत्र सं. BR/HAZARA/2020-21/ADV/238 दिनांक 20 जुलाई 2020 के माध्यम से यूपीडा के पक्ष में रु. 500.00 करोड़ का अतिरिक्त सूक्ष्म अवधि ऋण - II स्वीकृत कर दिया है जिसकी शर्तें व नियम वही हैं जो रु. 500.00 करोड़ के पूर्व में स्वीकृत सूक्ष्म अवधि ऋण के लिए लागू थीं। निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के इस प्रस्ताव का अवलोकन करके 28 अप्रैल 2020 को निदेशक मण्डल द्वारा पारित संकल्प के क्रम में इस अतिरिक्त ऋण को प्राप्त करने के लिए अग्रिम कार्रवाई हेतु यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत करने पर विचार करें। निदेशक मण्डल द्वारा इन बैंकों के ऋण-स्वीकृति पत्रों का अवलोकन करके सम्यक विचारोपरांत इस ऋण हेतु अग्रिम प्रक्रिया के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करते हुए निम्नवत् संकल्प पारित किया गया:-

संकल्प / RESOLUTIONS:

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No. 04 placed before it in the meeting of the Boardheld on 29 July 2020, approved and passed the following Resolutions:-

a. "That the Short Term Loan sanction letter No. BR/HAZARA/2020-21/ADV/238 dated 20 July 2020 from Bank of Baroda be and are taken on record and due approval be and is accorded for obtaining the Short Term Loan - II of Rs 500.00 crore as proposed as also the action to be taken thereupon by UPEIDA from time to time."

b. "That the Borrowing Power of UPEIDA be enhanced by Rs 500.00 crore for enabling the loan amount of Rs 500.00 crore from Bank of Baroda for meeting the cash-flow mismatch in Bundelkhand Expressway Project due to delay in financial closure and that the aforesaid borrowing from Bank of Baroda is in accordance with the State Government approvals and does not contravene any provisions of The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 or any limitations imposed under any regulation(s)."

c. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised, on behalf of UPEIDA, to approach Bank of Baroda for application of Short term Loan – II for meeting the cash-flow mismatch in Bundelkhand Expressway Project due to delay in financial closure, not exceeding Rs 500.00 crore on the terms and conditions as specified by Bank of Baroda in their loan sanction letter and do all actions on behalf of UPEIDA as may be needed in regard to obtaining the aforementioned loan not exceeding Rs 500.00 crore from Bank of Baroda.

d. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to execute the Loan Agreement, Letter / Deed of Undertakings, ESCROW Agreement etc. to be given by UPEIDA and any other document as required by Bank of Baroda (as per the standard formats with such modifications as may be agreed to between Bank of Baroda and UPEIDA) in regard to the aforementioned loans. Wherever needed, Finance Controller shall be the second signatory on the documents relating to this loan.

e. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to accept amendments to such executed loan agreement, Letter / Deed of Undertakings to be given by UPEIDA and/or any other document as and when become necessary and to sign letters of undertakings, declarations, agreements, acknowledgement(s) and other papers which UPEIDA may be required to sign in relation to the aforesaid loan. Wherever needed, Finance Controller shall be the second signatory on the documents relating to this loan.

f. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to approach the Government of Uttar Pradesh to seek State Government Guarantee, Letters of Comfort for providing the financial resources to meet the margin money requirements and shortfall in financial resources other than those from Bank of Baroda for the purpose of this loan as also for providing financial resources for debt servicing at any point of time during the currency of Bank Loan.

g. "It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from them in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the aforementioned Loanas alsofor thefinancialsupport whereverneeded and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

एजेण्डा बिन्दु–05:– **गंगा एक्सप्रेसवे के भूमि क्रय हेतु हडको से ऋण व्यवस्था**

कार्यवाही / निर्णय अध्यक्ष ने सूचित किया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार यूपीडा द्वारा "गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना" के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि को यूपीडा द्वारा विभिन्न वित्तीय स्रोतों से जुटाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस परियोजना के लिए गैर-बजटीय संसाधनों से आंशिक वित्त-पोषण प्राप्त करने हेतु, यूपीडा ने भूमि की खरीद के आंशिक वित्त-पोषण के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेव्लपमेंट कार्पोरेशन (हडको) से ऋण के रूप में वैकल्पिक धन व्यवस्था हेतु अनुरोध किया था। हडको ने अपने स्वीकृति पत्र सं० HUDCO / LRO / Sch.21383 / 2020 / 01 दिनांक 11मई 2020 के माध्यम से 2900.00 करोड़ रूपए के ऋण की स्वीकृति की सूचना दी है। तत्पश्चात हडको से पत्रांक ल.क्षे.का./हडको/2020/83 दिनांक 13 जुलाई 2020 प्राप्त हुआ है जिसमें हडको ने प्रस्तावित ऋण पर ब्याज संबंधी परिवर्तन सूचित किया है। अध्यक्ष ने निदेशक मण्डल के सदस्यों से हडको के स्वीकृति पत्र पर विचार करने का अनुरोध किया। निदेशक मण्डल ने सम्यक विचारोपरान्त "गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना"के भूमि क्रय हेतु हडको से अधिकतम रु 2,900.00 करोड़ राशि का ऋण प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए एवं हडको के ऋण-स्वीकृति पत्रों का अवलोकन करने के उपरांत इस ऋण हेतु अग्रिम प्रक्रिया के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करते हुए निम्नवत् संकल्प पारित किया:-

संकल्प / RESOLUTIONS:

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No. 5 placed before it in the meeting held on 29 July 2020, approved and passed the following Resolutions:-

a. "That the offer to UPEIDA by the Housing and Urban Development Corporation (hereinafter referred to as HUDCO) for availing a loan not exceeding Rs 2900.00 crore (Rupees Two Thousand Nine Hundred Croreonly) on the terms and conditions as contained in their Sanction Letter / Letter of Offer No HUDCO/LRO/ Sch. 21383 /2020/01 dated 11/05/2020 read with their letter No. ल.क्षे.का./हडको/2020/83 dated 13 July 2020 received from HUDCO (a copy of which duly signed by the Chief Executive Officer and Chairman of the Board, for the purpose of identification, has been circulated as a part of agenda placed before the Board) for the purpose of the Land Acquisition for Ganga Expressway Project be and is hereby accepted."

b. "That the Chief Executive Officer, namely, Shri Awanish Kumar Awasthi, is hereby authorised to convey to HUDCO the acceptance on behalf of UPEIDA of the said offer of loan on the terms & conditions contained in the Sanction Letter/ Letter of Offer referred to above and agree to such changes and modifications in the said terms & conditions as may be suggested and acceptable to HUDCO from time to time and to execute such deeds, documents and other writings as may be necessary or required for this purpose."

c. "That UPEIDA do borrow from HUDCO the said loan not exceeding Rs. 2900.00 crore (Rupees Two Thousand Nine Hundred Crore) only, on the terms & conditions set out in the standard form of the Loan Agreement including its General Conditions for loan in addition to the specialterms & conditions mentioned in the Sanction Letter received from HUDCO (a copy of which duly signed by the Chief Executive Officer and Chairman of the Board, for the purpose of identification, has been circulated as a part of agenda placed before the Board)".

d. "That the Borrowing Power of UPEIDA be enhanced by Rs 2990.00 crore for enabling the loan amount of Rs 2990.00 crore from HUDCO for Land Acquisition forLand AcquisitionWork ofGanga Expresway Project and that the aforesaid borrowing from HUDCO is in accordance with the State Government approvals and does not contravene any provisions of The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 or any limitations imposed under any regulation(s)."

e. "That the aforesaid standard form of the Loan Agreement be and is hereby approved and the Chief Executive Officer be and is authorised to accept and finalize the same on behalf of UPEIDA with such modifications therein as maybe acceptable to HUDCO."

f. "That the Common Seal of UPEIDA be affixed to the stamped engrossments in duplicate of the Loan Agreement (as per the standard forms with such modification as may be agreed to between HUDCO and the Authority) in the presence of Shri Awanish Kumar Awasthi, Chief Executive Officer and Shri Bishwajit Rai, Finance Controller who shall sign the same in token thereof and sign and execute the Loan Agreement."

g. "That UPEIDA shall execute the Loan Agreement and provide securities as stipulated therein relating to the aforementioned loan within the period stipulated by HUDCO, the condition being that till such Agreement is executed and securities provided, there is no binding obligation or commitment on the part of the HUDCO to advance any money or incur any obligation there under.

h. "That the Chief Executive Officer is authorized to accept amendments to such executed Loan Agreement and / or other documents as and when become necessary and to sign letter(s) of undertakings, declarations, agreements, acknowledgement(s) and other papers which UPEIDA may be required to sign in connection with the aforesaid loans."

i. "It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from the State Government in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the aforesaid Loan and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

एजेण्डा बिन्दु–06:– मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्यतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 24.07.2020 तक संलग्न 1 पर स्थापित एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण:–

कार्यवाही / निर्णय उक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–07:– अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदन:–

1. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत अधिकारियों / कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यक आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा आदेश संख्या / तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री उमेश प्रकाश श्रीवास्तव	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.05.2020	06 माह	19.11.2020	सं0—9944 / यूपीडा / 1538 / 19 / अधि0 दिनांक 24.06.2020
2.	श्री विवेकानन्द	तकनीकी परामर्शी (डिफेन्स—कॉरीडोर)	29.05.2020	03 माह	29.08.2020	सं0—9959 / यूपीडा / 1426 / 19 / अधि0 दिनांक 25.06.2020
3	कर्नल के0एस0त्यागी	वरिष्ठ परामर्शी (डिफेन्स—कॉरीडोर)	30.06.2020	06 माह	30.12.2020	सं0—9945 / यूपीडा / 1490 / 19 / अधि0 दिनांक 24.06.2020
4.	श्री शरद तिवारी	विविध सलाहकार	09.07.2020	06 माह	09.01.2021	सं0—10096 / यूपीडा / 833 / 18 / टी0सी0 / अधि0 दिनांक 30.06.2020
5.	श्रीमती कंचन तिवारी	लेखाकार	12.07.2020	06 माह	12.01.2021	सं0—10216 / यूपीडा / 503 / 15 / अधि0 दिनांक 07.07.2020
6.	श्री अभिमन्यु कुमार यादव	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2020	06 माह	31.01.2021	सं0—10220 / यूपीडा / 1641 / 20 / अधि0 दिनांक 07.07.2020
7.	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल)	02.07.2020	एक वर्ष	02.07.2021	सं0—10217 / यूपीडा / 1777 / 20 / अधि0 दिनांक 07.07.2020
8.	श्री जगदीश सिंह	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	09.07.2020	06 माह	09.01.2021	सं0—10305 / यूपीडा / 1334 / 19 / अधि0 दिनांक 10.07.2020
9.	श्री अतुल अस्थाना	वरि0प्रब0(वन)	03.07.2020	06 माह	03.01.2021	सं0—10317 / यूपीडा / 1676 / 19 / अधि0 दिनांक 13.07.2020
10.	श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2020	06 माह	25.01.2021	सं0—10324 / यूपीडा / 1376 / 19 / अधि0 दिनांक 13.07.2020
11.	श्री अकमल हुसैन	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2020	06 माह	31.01.2021	सं0—10376 / यूपीडा / 391 / 15 / अधि0 दिनांक 15.07 .2020
12.	श्री साहिर अहमद सिद्दीकी	प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2020	06 माह	25.01.2021	सं0—10557 / यूपीडा / 1410 / 19 / अधि0 दिनांक 22.07.2020
13.	श्री उमा शंकर सिंह	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2020	06 माह	25.01.2021	सं0—10554 / यूपीडा / 1380 / 19 / अधि0 दिनांक 22.07.2020
14.	श्री रवि शंकर निगम	वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2020	06 माह	25.01.2021	सं0—10559 / यूपीडा / 1405 / 19 / अधि0 दिनांक 22.07.2020
15.	श्री उमाकान्त कुलश्रेष्ठ	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2020	06 माह	31.01.2021	सं0—10558 / यूपीडा / 1642 / 20 / अधि0 दिनांक 22.07.2020
16.	श्री राज कुमार मिश्रा	प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2020	06 माह	25.01.2021	सं0—10556 / यूपीडा / 1406 / 19 / अधि0 दिनांक 22.07.2020
17.	श्री ओंकार नाथ वर्मा	विशेष राजस्व अधिकारी	31.07.2020	06 माह	31.01.2021	सं0—10555 / यूपीडा / 1094 / 18 / अधि0 दिनांक 22.07.2020
18.	श्री हरिशंकर सिंह	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2020	06 माह	31.01.2021	सं0—10528 / यूपीडा / 1638 / 20 / अधि0 दिनांक 22.07.2020
19.	श्री भूप नारायण	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2020	06 माह	31.01.2021	सं0—10528 / यूपीडा / 1640 / 20 / अधि0 दिनांक 22.07.2020
20.	श्री आशोक कुमार शर्मा	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2020	06 माह	25.01.2021	सं0—10593 / यूपीडा / 1411 / 19 / अधि0 दिनांक 24.07.2020

2. **यूपीडा में कार्यरत अधिकारियों के नाम जिनकी सेवा समाप्त की गयी है, जिसका अनुमोदन 58 वीं बोर्ड मण्डल की बैठक दिनांक 29.07.2020 में प्राप्त किया जाना है, विवरण निम्नवत् हैः–**

यूपीडा में तैनात (संविदा) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं की यूपीडा में आवश्यकता आकलन एवं आवश्यकता न पाये जाने पर निम्नलिखित अधिकारियों की संविदा सेवायें उक्त तिथि से समाप्त की गयी है। जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक दिनांक 29.07.2020 में किया जाना है।

अधिकारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति अवधि	सेवा समाप्ति की तिथि	सेवा समाप्ति आदेश संख्या
श्री चकलेदार सिंह	वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)	06 माह	05.07.2020	सं0–10366 / यूपीडा / 1338 / 19 / अधि0 दिनांक 14.07.2020
श्री अशोक कुमार बंसल	महाप्रबन्धक (सिविल)	06 माह	त्यागपत्र 13.07.2020	पत्रावली प्रस्तुत
श्री अशोक कुमार तिवारी	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	01.07.2020	सं0–10337 / यूपीडा / 1699 / 20 / अधि0 दिनांक 13.07.2020
श्री सत्य नारायण राम चौहान	विशेष राजस्व अधिकारी	06 माह	17.07.2020	सं0–10560 / यूपीडा / 1093 / 18 / अधि0 दिनांक 22.07.2020

3. **यूपीडा के पत्रों द्वारा औद्योगिक विकास विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने की प्रत्याशा में संविदा पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन 58वीं बोर्ड की बैठक 29.07.2020 में प्राप्त किया गयाः–**

यूपीडा में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकता मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पदसृजन एवं नियुक्ति के यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर यूपीडा मुख्यालय के कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु नियुक्तियाँ की गयी, जिनका अनुमोदन निदेशक मण्डल की दिनांक 29.07.2020 को बोर्ड की बैठक में प्राप्त किया जाना है। जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या / तिथि
1.	श्री टी0पी0जोशी	निजी सचिव	06 माह	07.07.2020	सं0–10222 / यूपीडा / 1773 / 20 / अधि0 दिनांक 02.07.2020
2.	श्री प्रशान्त मिश्रा	मीडिया सहायक	06 माह	07.07.2020	सं0–10209 / यूपीडा / 1775 / 20 / अधि0 दिनांक 07.07.2020
3.	श्री अर्पित अवस्थी	मीडिया सहायक	06 माह	07.07.2020	सं0–10210 / यूपीडा / 1776 / 20 / अधि0 दिनांक 07.07.2020
4.	श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव	लेखा0कम0कैशि0	06 माह	07.07.2020	सं0–10221 / यूपीडा / 1774 / 20 / अधि0 दिनांक 07.07.2020
5.	श्री रजी अहमद सिद्दीकी	सुरक्षा अधिकारी	03 माह	07.07.2020	सं0–10207 / यूपीडा / 1780 / 20 / अधि0 दिनांक 07.07.2020

4. **यूपीडा में संचालित विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की आवश्यकता के दृष्टिगत औद्योगिक विकास विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने की प्रत्याशा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये गये सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियन्तओं/सहायक अभियन्ताओं का अनुमोदन 58वीं बोर्ड की बैठक 29.07.2020 में प्राप्त किया जाना हैः–**

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर अभियन्ताओं की मुख्यालय एवं फील्ड स्तर की गयी तैनाती, जिनका अनुमोदन निदेशक मण्डल की दिनांक 29.07.2020 को बोर्ड की बैठक में प्राप्त किया जाना है। जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	प्रतिनियुक्ति से/विभाग	कार्यभार ग्रहण की तिथि	प्रतिनियुक्ति आदेश संख्या/तिथि
1	श्री लाल बहादुर शर्मा	सहायक अभियन्ता	सिंचाई एवं जल संसाधन0वि0	07.07.2020	1147/ई-2/प्रतिनियुक्ति यूपीडा/दि0 07.07.2020
2	श्री ज्ञान प्रकाश	सहायक अभियन्ता	सिंचाई एवं जल संसाधन0वि0	16.07.2020	1369/ई-2/प्रतिनियुक्ति यूपीडा/दि0 16.07.2020

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु-08:- **आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे के मुद्रीकरण के दृष्टिगत श्री के0के0गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थाए) के सहायोग करने हेतु दो सलाहकार (रिटायर्ड बैंक कर्मी/नाबार्ड/सार्वजनिक उपक्रम) के पदों पर संविदा पर नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्रस्तावः-**

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु-09:- **डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु भूमि क्रय व उसके आवंटन का कार्य, ढांचागत सुविधाओं के विकास तथा समग्र प्रबन्धन हेतु यूपीडा में एक पृथक प्रकोष्ठ/विंग बनाये जाने के सम्बन्ध में।**

डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडो परियोजना के अन्तर्गत जनपद-झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़ व कानपुर नगर में भूमि के क्रय/पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/अंतरण की कार्यवाही गतिमान है। परियोजना के अन्तर्गत उक्त जनपदों में प्राप्त भूमि को आवेदन प्रस्तुत करने वाली रक्षा इकाईयों को आवंटित किया जाना है। परियोजना हेतु भूमि क्रय व उसके आवंटन का कार्य, ढांचागत सुविधाओं के विकास तथा समग्र प्रबन्धन हेतु यूपीडा में एक पृथक प्रकोष्ठ/विंग बनाये जाने का निर्णय मा0 मंत्री जी, औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 24.02.2020 में लिया गया है, जिसके अनुक्रम में निम्नवत् ढांचा गठित/सृजित करने का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 22.07.2020 को किया गया है। इस क्रम में निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदन हेतु निम्न एजेण्डा बिन्दु प्रस्तावित है:-

क्र0 सं0	पदनाम	पदो की संख्या	योग्यता	वर्तमान में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6
भूमि अर्जन अनुभाग					
1	विशेष कार्याधिकारी (भू-अर्जन)	1	वर्तमान पे मैट्रिक-13 या उसके ऊपर के स्तर का शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी	श्री ओम प्रकाश पाठक, विशेष कार्याधिकारी (भू-अर्जन)	-
2	डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार	1	प्रतिनियुक्ति से, वर्तमान पे मैट्रिक-10 या उसके ऊपर के स्तर का प्रशासनिक अधिकारी	श्री संजय चावला, डिप्टी कलेक्टर	-

22

3	टाउन प्लानर	1	टाउन प्लानिंग में स्नातक या अथवा इसी पद से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी	-	1
4	प्रबन्धक विपणन	1	विपणन में एम0बी0ए0 डिग्री धारक	-	1
5	आशुलिपिक (द्विभाषीय)	1	संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से	-	1
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर	4	आउटसोर्सिंग के माध्यम से	1. श्री दीपक चौबे 2. श्री शिशुपाल सिंह	2
7	लिपिक/रिकार्ड कीपर	1	आउटसोर्सिंग/संविदा के माध्यम से अथवा अथवा इसी पद से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी	-	1
8	चतुर्थ श्रेणी	4	आउटसोर्सिंग के माध्यम से	1. प्रेम चन्द्र 2. विशाल विक्रम सिंह	2
तकनीकी अनुभाग					
9	वरिष्ठ सलाहकार	1	वर्तमान पे मैट्रिक-14 या उसके ऊपर के स्तर का भारतीय सेना में मेजर जनरल या उससे उच्च पद से सेवानिवृत्त अधिकारी	ले0ज0 जे0के0 शर्मा, वरिष्ठ परामर्शी	-
10	सलाहकार	1	वर्तमान पे मैट्रिक-12 या उसके ऊपर के स्तर का भारतीय सेना/डीआरडीओ/एचएएल या भारत सरकार के किसी अन्य रक्षा प्रतिष्ठान से अथवा उ0प्र0 उद्योग विभाग से संयुक्त निदेशक या उससे उच्च पद का सेवानिवृत्त अधिकारी	कर्न0 के0एस0 त्यागी, वरिष्ठ परामर्शी	-
11	वरिष्ठ परामर्शी	1	वर्तमान पे मैट्रिक-12 या उसके ऊपर के स्तर का भारतीय सेना/डीआरडीओ/एचएएल या भारत सरकार के किसी अन्य रक्षा प्रतिष्ठान से अथवा उ0प्र0 उद्योग विभाग से संयुक्त निदेशक या उससे उच्च पद का सेवानिवृत्त अधिकारी	श्री आर0बी0 शर्मा, वरिष्ठ परामर्शी	-
12	परामर्शी	2	वर्तमान पे मैट्रिक-10 या उसके ऊपर के स्तर का भारतीय सेना/डीआरडीओ/एचएएल या भारत सरकार के किसी अन्य रक्षा प्रतिष्ठान से अथवा उ0प्र0 उद्योग विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी	1. श्री बी0बी0 सिंह, परामर्शी 2. श्री विवेकानन्द, परामर्शी	-
13	सहायक अभियन्ता (सिविल)	1	प्रतिनियुक्ति से अथवा इसी पद से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी	-	1

14	सहायक अभियन्ता (इलेक्ट्रिक)	1	प्रतिनियुक्ति से अथवा इसी पद से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी		1
15	वरिष्ठ सहायक	1	वर्तमान पे मैट्रिक-6 या उसके ऊपर के स्तर का भारतीय सेना/डीआरडीओ/एचएएल या भारत सरकार के किसी अन्य रक्षा प्रतिष्ठान से अथवा उ0प्र0 उद्योग विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी	श्री अमरनाथ, वरिष्ठ सहायक	-
16	सुपरवाइजर (आई0टी0)	1	बीटेक (आई0टी0)/सी0एस0 या बी0सी0ए0, जिसे वेबसाइट, प्रेजेन्टेशन व साफ्टवेयर आदि में कार्य करने का अनुभव हो	-	1

कार्यवाही/निर्णय — विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन) द्वारा यूपीडा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि भविष्य में परियोजनाओं मे भूमि सम्बन्धित क्रय/ पुर्नग्रहण/ अधिग्रहण के कार्यो के सम्पादन हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार अधिकारी/ कर्मचारी की तैनाती प्रतिनियुक्ति/ संविदा/ आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी। इस सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–10:– **डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना अन्तर्गत जनपद-अलीगढ़ की भूमि की संशोधित दर के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय — अलीगढ नोडस के अन्तर्गत डिफेन्स कारिडोर परियोजना विकसित किये जाने हेतु पूर्व में अनुमोदित 43 लाख प्रति हे0 भूमि की दर पर उपरोक्त धनराशि को भी भारित किया जाना आवश्यक है, जिसके क्रम में गणना तैयार किया गया है, जिसमें इस भूमि पर स्टाम्प व निबन्धन शुल्क के रूप में 06 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित की गयी है। उक्त गणना प्रपत्र के अनुसार उक्त व्यय की जानी वाली धनराशि को सम्मिलित करने के उपरान्त भूमि की अनुमानित दर 52.53 लाख प्रति हे0 सम्भावित है, आवटियों को विक्रय की जाने वाली भूमि की अनुमानित दर निर्धारित किया जाना उचित होगा। उक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुये प्रस्तावित दरों का अनुमोदन निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–11:– **यूपीडा पेट्रोलिंग दुर्घटनाग्रस्त वाहन संख्या यू0पी0 32 जे0एक्स0 1148 के स्थान पर कम्पनी द्वारा रू0 12,34,800.00 धनराशि का समायोजन कर नई वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु यूपीडा निदेशक मण्डल से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–12:– **आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज-05 के कॉन्ट्रैक्टर (लारसन एण्ड टूब्रो) के विवादित भुगतान दावों के परीक्षण एवं निर्णय हेतु गठित आरबिट्रल पैनल के समक्ष लारसन एण्ड टूब्रो के श्री पूरन कुमार द्वारा Claim Petition file करने एवं आरबिट्रल पैनल द्वारा निर्गतProcedural Order No. 3, dt.15.07.2020 सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ने निर्देश दिये की प्रशासनिक विभाग को L&T के claim के सम्बन्ध में अवगत कराते हुय यह अनुरोध कर लिया जाये कि इस सम्बन्ध में न्याय विभाग के साथ एक बैठक आयोजित कर ली जायें। उक्त से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययक।

अवगत कराना है कि सम्प्रति यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का समयबद्ध विकसित / क्रियान्वित / पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति / आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग / व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

1. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये आय–व्यय (बजट)

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये आय–व्ययक अनुमान के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित आय–व्ययक सारभूत रूप में निम्नवत् हैः–

	योजना का नाम	बजट प्राविधान		शासन स्तर / वित्त सस्थाओ से जारी स्वीकृति	व्यय कुल	टिप्पणी
1	2	3		4	5	6
A	आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड) परियोजना	अनुदान सख्या–7	160.00	84.37	40.37	
	योग		160.00	84.37	40.37	
B	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान सख्या–7	1400.00	0.00	0.00	सिविल कार्यो हेतु धनराशि रू0 700.00 करोड की माग शासन से की जा चुकी है।
	पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओ से लिये गये ऋण	ऋण	900.00	900.00	900.00	
	योग		2300.00	900.00	900.00	
C	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त सस्थाओ से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान सख्या–7	589.52	69.59	69.59	
	योग		589.52	69.59	69.59	
D	गोरखपुर लिंक एक्सप्रसवे परियोजना	निर्माण कार्य	176.00	76.00	76.00	
		भूमि क्रय	224.00	156.03	156.03	भूमि क्रय हेतु रू0 67.97 करोड की माग शासन से की जा चुकी है।
	योग		400.00	156.03	156.03	
E	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओ से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान सख्या–7	36.35	0.00	0.00	
			36.35	0.00	0.00	
F	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	750.00	200.00	165.00	वित्तीय वर्ष 2020–21 मे भूमि के क्रय / पुनर्ग्रहण / अधिग्रहण हेतु आय–व्ययक मे कोई व्यवस्था नही होने के कारण परियोजना ने भूमि क्रय हेतु रू0 55.85 करोड की अनुपूरक माग का प्रस्ताव शासन से की गयी है।
	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओ से लिये गये ऋण	ऋण	500.00	500.00	500.00	
	योग		1250.00	700.00	665.00	

G	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओ से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान सख्या–7	155.07	11.42	1.15	
	योग		155.07	11.42	1.15	
H	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर परियोजना	अनुदान सख्या–7	150.00	0.00	0.00	
	योग		150.00	0.00	0.00	
I	गगा एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान सख्या–7	2000.00	0.00	0.00	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे परियोजना मे भूमि कय हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से रू0 327.15 करोड की माग शासन से की जा चुकी है।
	योग		2000.00	0.00	0.00	
J	बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान सख्या–7	200.00	0.00	0.00	पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना मे भूमि कय हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से रू0 84.31 करोड की माग शासन से की जा चुकी है।
	योग		200.00	0.00	0.00	
K	गोरखपुर लिक एक्सप्रेसवे के दोनो ओर जनपद गोरखपुर मे औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु	अनुदान सख्या–7	200.00	0.00	0.00	
	योग		200.00	0.00	0.00	
	महायोग		7440.94	1997.41	1908.14	

1. गोरखपुर लिंक परियोजना में जनपद आजमगढ़, अम्बेडकनगर एव गोरखपुर की भूमि क्रय मद में मांग के क्रम मे 327.15 करोड़ का पुर्नविनियोग गंगा एक्सप्रेसवे की उपलब्ध धनराशि से करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
2. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जनपद आजमगढ, सुल्तानपुर एवं गाजीपुर के भूमि क्रय मद में मांग के क्रम में रू0 84.31 करोड के पुर्नविनियोग का प्रस्ताव बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की इस वर्ष की उपलब्ध धनराशि से करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित है।

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> — प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संस्तुति व्यक्त की गई।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–02:–</u> **<u>MOU BETWEEN INDIAN NAVY AND UPEIDA</u>**

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> — डिफेन्स कॉरिडोर के कार्यो में भारतयी नौ सेना एवं यूपीडा के मध्य एक अनुबंध संपादित किया जाना है, जिसके अनुसार भारतीय नौ सेना द्वारा एक Naval Technology Acceleration Council गठित की जा रही है। यह समिति यूपीडा से समन्वय सम्पादित कर अपनी रक्षा उत्पादों से सम्बन्धित आवश्यकताओं से अवगत करायेगी। यूपीडा अपने नालेज पार्टनर (आई0आई0टी0 कानपुर, आई0आई0टी0 बी0एच0यू0, सी0एफ0सी0) के माध्यम से रक्षा उत्पाद हेतु डिफेन्स कॉरिडोर में आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उत्पाद की डिजाइन एवं तकनीक द्वारा निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है, कि इस MOU का आलेख प्रशासनिक विभाग (औद्योगिक विकास विभाग) को भी अवलोकनार्थ भेज दिया जायें।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–03:– **यूपीडा की 58 वीं बोर्ड की बैठक दिनांक 29.07.2020 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल) के पद पर संविदा पर नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्रस्तावः–**

कार्यवाही / निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अंत में उप मुख्य कर्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.07.2020 को सम्पन्न हुई 58वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 29.07.2020 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी